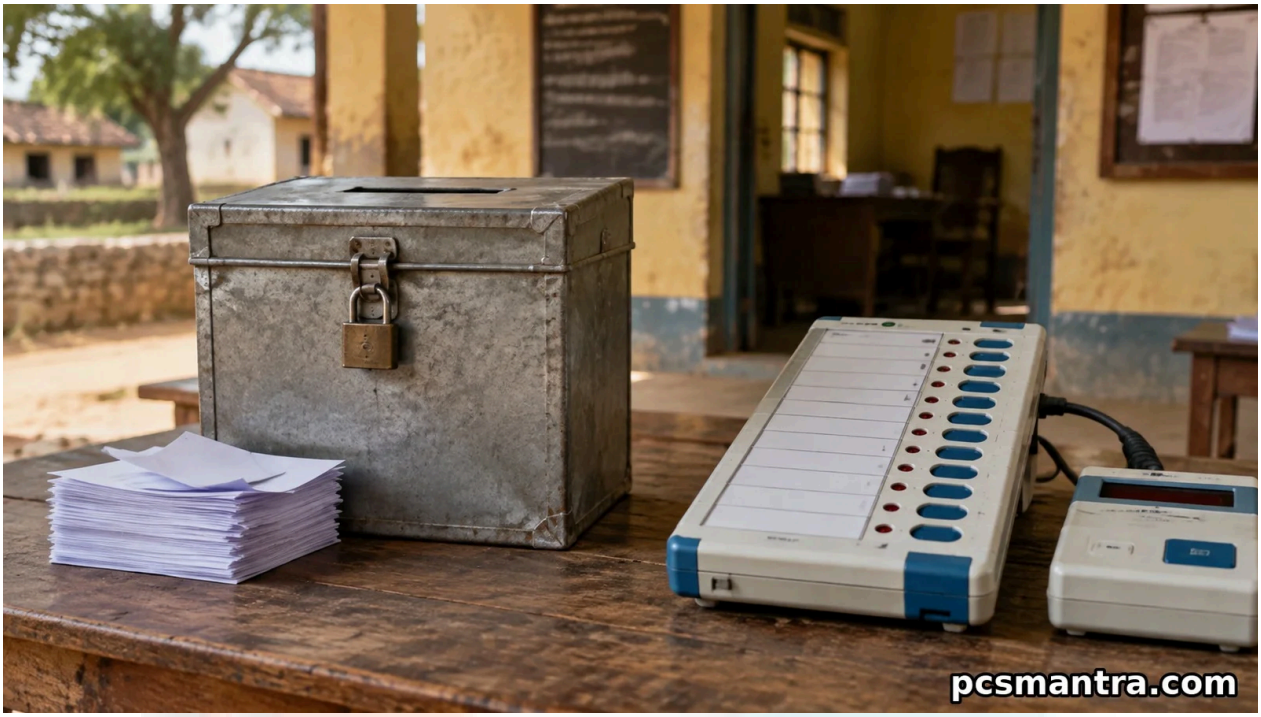
ओडिशा के स्थानीय चुनाव: पंचायत में मतपत्र, शहरी निकायों में EVM; 26 अक्टूबर से मतदाता सर्वेक्षण

राजव्यवस्था | चुनाव-प्रशासन • स्थानीय स्वशासन • GS-II/प्रिलिम्स | समाचार-संदर्भ: 26 अक्टूबर 2026 (घर-घर मतदाता सर्वेक्षण शुरू; SEC घोषणा 15 अक्टूबर) | प्रकाशन: 31 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

ओडिशा के राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) **मधुसूदन पाधी** ने **15 अक्टूबर 2026** को घोषणा की कि आगामी **पंचायत चुनावों में मतपत्रों (बैलट पेपर) से ही मतदान** होगा, जबकि अगले वर्ष होने वाले **नगरीय निकाय चुनावों में EVM** से वोट पड़ेंगे। इसी क्रम में **पंचायत और नगरपालिका चुनाव-2027** की मतदाता-सूचियाँ तैयार करने के लिए **26 अक्टूबर 2026 से घर-घर सर्वेक्षण** शुरू हो गया (द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया)।

SEC के अनुसार राज्य में पंचायत चुनावों के लिए लगभग **91,000 बूथ** हैं और प्रत्येक बूथ पर चार EVM चाहिए होंगे; उनके उद्धरण में कुल जरूरत लगभग **3.36 लाख EVM** बताई गई है (द हिंदू), जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग **3.6 लाख** कहा गया है (गणित से 91,000 × 4 = 3.64 लाख बनता है; आंकड़े SEC के उद्धरण के रूप में जस के तस दिए गए हैं)। इतनी संख्या उपलब्ध नहीं है और लागत भी अधिक आती है। इसके विपरीत शहरी केंद्रों के बूथों पर मतदाता अधिक होते हैं और प्रत्येक बूथ पर दो EVM पर्याप्त हैं, इसलिए शहरों-कस्बों में EVM इस्तेमाल होंगे। मतगणना केंद्रीकृत ढंग से होगी।

मतपत्र बनाम EVM: व्यवहार्यता का गणित

पंचायत चुनाव में मतदाता चार पदों — **वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य** — के लिए मत डालते हैं, इसलिए मशीनों की माँग सामान्य चुनावों से कई गुना बढ़ जाती है। तुलना के लिए: समवर्ती लोकसभा-विधानसभा चुनावों में लगभग 37,000 मतदान केंद्रों के लिए करीब **75,000 EVM** और नगरीय निकाय चुनावों के लिए मात्र लगभग **12,000 मशीनें** काफी हैं (टाइम्स ऑफ इंडिया)। यानी निर्णय किसी तकनीक-विरोध का नहीं, लॉजिस्टिक्स और लागत का है। राज्य निर्वाचन आयोग **अनुच्छेद 243K** (पंचायत) और **243ZA** (नगरपालिका) के तहत गठित संवैधानिक निकाय है, जो तीसरी सरकार के चुनाव संचालित करता है।

मतदाता-सूची सर्वेक्षण और समय-सीमा

आयोग 21 सितंबर को प्रकाशित **विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)** की मतदाता-सूची को आधार बनाकर वार्ड-वार सूचियाँ तैयार करेगा। **26 अक्टूबर से 7 नवंबर** तक घर-घर सर्वेक्षण में BLO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, जलसाथी और स्वच्छासाथी सत्यापन करेंगे; हर घर को **विशिष्ट गृह-संख्या** दी जाएगी ताकि एक ही परिवार के मतदाता एक ही बूथ पर वोट डाल सकें। **ड्राफ्ट मतदाता-सूची 1 जनवरी 2027** को प्रकाशित होगी; दावे-आपत्तियों के लिए **20 दिन** मिलेंगे और **अंतिम सूची 10 फरवरी 2027** को आएगी। नाम जुड़वाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में दावा फॉर्म-16, नगरीय निकाय में फॉर्म-III और नगर निगम में फॉर्म-VII; हटाने हेतु क्रमशः फॉर्म-17, फॉर्म-4 और फॉर्म-8 उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों से बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) नियुक्त करने को कहा गया है।

आगे की राह

आने वाले पड़ाव: नवंबर में सर्वेक्षण-पूर्णता की समीक्षा, जनवरी-फरवरी में दावे-आपत्तियों का निष्पादन, और मार्च-अप्रैल 2027 में चरणबद्ध चुनाव की संभावित घोषणा। मतपत्र-आधारित पंचायत मतदान में मतगणना-समय और मानवीय त्रुटि-प्रबंधन, तथा शहरी EVM-मतदान में मशीन-उपलब्धता और VVPAT-जैसी पारदर्शिता-अपेक्षाएँ निगरानी के मुद्दे रहेंगे। सर्वेक्षण की सफलता सूची की शुद्धता और बूथ-स्तरीय भागीदारी पर निर्भर करेगी।

परीक्षा दृष्टिकोण

प्रिलिम्स-बिंदु: राज्य निर्वाचन आयोग = अनुच्छेद 243K/243ZA, संवैधानिक निकाय, पंचायत-नगरपालिका चुनाव; ओडिशा: पंचायत = मतपत्र, नगरीय = EVM; ~91,000 बूथ; SEC उद्धरण: ~3.36 लाख EVM (TOI: ~3.6 लाख) की आवश्यकता; सर्वेक्षण 26 अक्टूबर-7 नवंबर 2026; ड्राफ्ट सूची 1 जनवरी 2027; अंतिम सूची 10 फरवरी 2027; पंचायत के चार पद = वार्ड सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य।

मुख्य परीक्षा: GS-II (राजव्यवस्था, चुनाव-सुधार): स्थानीय स्वशासन के चुनाव-प्रशासन की चुनौतियाँ; मतदाता-सूची की गुणवत्ता और निर्वाचन-स्वच्छता; मतपत्र बनाम EVM बहस में लागत-लॉजिस्टिक्स; SIR और निर्वाचकीय सूची-तैयारी की प्रक्रिया।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"निष्पक्ष चुनाव की नींव त्रुटिरहित मतदाता-सूची है।" ओडिशा राज्य निर्वाचन आयोग के घर-घर सर्वेक्षण (2026) के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए। 10 अंक)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 26 अक्टूबर 2026 से शुरू घर-घर सर्वेक्षण, ड्राफ्ट (1 जनवरी 2027) और अंतिम (10 फरवरी 2027) सूची की समय-सीमा उद्धृत कर प्रारंभ करें।

मुख्य भाग में: दिखाएँ कि सूची-शुद्धता समावेशन (कोई मतदाता न छूटे) और विश्वसनीयता (नकली नाम न रहें) दोनों सुनिश्चित करती है: विशिष्ट गृह-संख्या, परिवार-स्तरीय बूथ-आवंटन, दावे-आपत्ति की 20-दिवसीय खिड़की, BLA की भागीदारी। SIR-आधारित आधार-सूची और मानवीय सत्यापन की पूरक भूमिका लिखें। सीमाएँ भी दें: प्रवासी मतदाता, डेटा-त्रुटियाँ, और मतपत्र-आधारित गणना में विलंब का जोखिम।

निष्कर्ष में: प्रक्रिया-पारदर्शिता और दलों की भागीदारी सूची को सामाजिक स्वीकार्यता देती है; प्रौद्योगिकी (ऑनलाइन दावे) और नियमित अद्यतन से इसे टिकाऊ बनाने का सुझाव।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. ओडिशा के आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: पंचायत चुनावों में मतपत्रों (बैलट पेपर) से मतदान होगा।
कथन-II: नगरीय निकाय चुनावों में EVM का उपयोग होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

▼ उत्तर और व्याख्या
उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं। SEC मधुसूदन पाधी के अनुसार ~91,000 बूथों के लिए चाहिए EVM की बड़ी संख्या (उनके उद्धरण में ~3.36 लाख; TOI में ~3.6 लाख) उपलब्ध न होने और लागत के कारण पंचायत चुनाव मतपत्रों से (कथन-I सही), जबकि प्रति-बूथ दो EVM पर्याप्त होने से नगरीय निकाय चुनाव EVM से होंगे (कथन-II सही)।

प्रश्न 2. ओडिशा की मतदाता-सूची तैयारी (चुनाव-2027) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. घर-घर सर्वेक्षण 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हुआ।
2. ड्राफ्ट मतदाता-सूची 1 फरवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
3. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c) केवल 1 और 3। सर्वेक्षण 26 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुआ (1 सही) और SEC अनुच्छेद 243K/243ZA का संवैधानिक निकाय है (3 सही)। ड्राफ्ट सूची 1 जनवरी 2027 को आएगी, 1 फरवरी को नहीं (2 गलत); अंतिम सूची 10 फरवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

स्रोत

- द हिंदू: ओडिशा में ग्रामीण चुनावों के लिए मतपत्र जारी, शहरी के लिए EVM (16 अक्टूबर 2026)
- टाइम्स ऑफ इंडिया: पंचायत के लिए मतपत्र, शहरी चुनावों के लिए EVM; EVM-गणित और फॉर्म-विवरण (15 अक्टूबर 2026)
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस: 26 अक्टूबर से घर-घर मतदाता सर्वेक्षण (16 अक्टूबर 2026)
- राज्य निर्वाचन आयोग, ओडिशा - आधिकारिक पोर्टल